पत्रांक-भवन/मु0अभि0(प0)-21-यो0विविध-8-23/2025......3798(7)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुरेश प्रसाद प्रभाकर,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 24/4/.2026

विषयः- गैर-अनुसूचित मदों का दर निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि योजनाओं/कार्यों के प्राक्कलनों में समरूप कार्यों के लिए अनुसूचित मदों का प्रावधान होने के बावजूद गैर-अनुसूचित मदों का प्रयोग किया जा रहा है। प्रयुक्त गैर-अनुसूचित मदों के अनुमोदित दरों में भी असमानता पायी जा रही है। कई बार गैर-अनुसूचित मदों के दर अनुमोदन के समय प्राप्त कोटेशनों में कोटेड दर काफी पुराने होते हैं तथा GeM Portal या अन्य Online Portal पर उद्घृत दरों की तुलना में अधिक रहती है। इस कारण विभाग के स्तर पर तकनीकी अनुमोदन के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति देने में कठिनाई होती है।

अतएव भवन निर्माण विभाग अंतर्गत गैर-अनुसूचित मदों के प्रयोग में कमी लाने, मितव्ययिता के दृष्टिकोण से एवं अनुमोदित दरों में एकरूपता रखने के उद्देश्य से निम्नांकित दिशा-निर्देश दिये जाते हैं:-

1. प्राक्कलनों के गठन में Bihar SoR में निहित अनुसूचित मदों का यथासंभव प्रयोग किया जाय।
2. यदि कोई मद Bihar SoR में उपलब्ध ना हो तो CPWD द्वारा प्रकाशित DSR में उपलब्ध मद का प्रयोग किया जाय।
3. Bihar SoR एवं DSR में किसी मद विशेष का उल्लेख ना होने की स्थिति में वैकल्पिक समकक्ष अनुसूचित मद (जो BSoR/DSR में उपलब्ध हो) के प्रयोग को वरीयता दी जाय।
4. यदि गैर-अनुसूचित मद का प्रयोग अनिवार्य हो जाय, तो ऐसे गैर-अनुसूचित मद का दर निर्धारण GeM Portal के माध्यम से प्राप्त दर एवं बाजार से कोटेशन के आधार पर प्राप्त दर की तुलना कर उपलब्ध न्यूनतम दर पर प्राक्कलन में प्रावधान किया जाय। किसी भी परिस्थिति में तीन वर्ष से ज्यादा कोटेशन आधारित पुराना दर उपयोग में नहीं लाया जाय।

5. गैर-अनुसूचित मदों के अनुमोदन के समय यह भी प्रतिवेदित करें कि मद विशेष अनिवार्य क्यों है एवं समकक्ष अनुसूचित मद का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता है?

6. बहुधा प्रयोग में लाये जा रहे गैर-अनुसूचित मदों को विभागीय अनुसूचित निर्धारण समिति के माध्यम से राज्यस्तरीय अनुसूचित समिति से अनुमोदन प्राप्त कर Bihar SoR में सम्मिलित किया जाय।

भवन निर्माण विभाग से गठन किये जा रहे सभी प्राक्कलनों में उपरोक्त दिशा-निर्देशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस पत्र के बिना अनुपालन के विभाग में तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन भेजे जाने पर संबंधित अभियंतागण कार्रवाई की हकदार होंगे।

विश्वासभाजन

24.4.26

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।